Serial No. 15878 Circle:-:Danapur

Book No. :- 1 Deed No. 16183



बिहार BIHAR AH 966977

Serial No. 15878 Deed No. 16183

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **22/10/2021** by **Vijay Kumar Singh**
A Stamp Duty of Rs. **448420**/- and other Fees of Rs. **22500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **16183** in Book No. **1**, Volume No. **324** on pages from **1** to **20** and has been preserved in total **20** pages in C.D. No. **50** / Year **2021**

Signature with Date
(Archana)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 01/11/2021 Token No: 16270 /2021

Scanned By

रोक सूची खेसरा पंजी/चेक लिस्ट से मिलान किया।

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा आज दिनांक 22.10.2021 ई0 को निम्न पक्षों के बीच निर्विवाद रूप से निष्पादित किया गया।

दस्तावेज जाचाँ

दस्तावेजकार

नगर निबंधन कार्यालय, दानापुर • पटना •

For Shreeja Construction Pvt Ltd

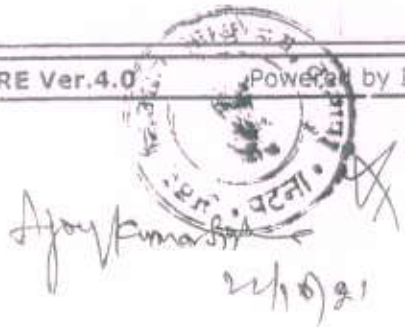
Director

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 16270 | Reg. Year 2021 | Serial Number 15878 | Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Sangeeta Prakash (Dir.)						
Sig.	Sangeeta Prakash. 22/10/21						
Executant	Ajay Kumar Sinha						
Sig.	Ajay Kumar Sinha 22/10/21						
Executant	Anju Singh Urf Anju Sinha	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.							
Executant	Dhananjay Kumar Singh						
Sig.	Dhananjay Kumar Singh 22-10-2021						
Executant	Nilam Lata Sinha Urf Nilam Sinha						
Sig.	Nilam Lata Sinha 22-10-21						
Executant	Renu Kumari Sinha Urf Renu Sinha						
Sig.	Renu kumari Sinha 22.10.21						
Presented By	Vijay Kumar Singh	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.							
Executant	Vijay Kumar Singh	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.							

SCORE Ver.4.0 | Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 2802sop028



Ajay Kumar Sinha 22/10/21



भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष का नाम एवं पूरा पता :–

(I) श्री विजय कुमार सिंह **(Mobile-8895170645, PAN – AEIPS9797J, Aadhaar – 5770 4735 3488),** पिता का नाम स्वर्गीय रामानन्द प्रसाद शर्मा,

(II) श्री अजय कुमार सिन्हा **(Mobile-9931271978, PAN – AKPPS0775F, Aadhaar – 5909 6850 3744),** पिता का नाम स्वर्गीय रामानन्द प्रसाद शर्मा,

(III) श्री धनंजय कुमार सिंह **(Mobile-9162211051, PAN – AMXPS6732J, Aadhaar – 5855 8319 8462),** पिता का नाम स्वर्गीय रामानन्द प्रसाद शर्मा,

(IV) श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा **(Mobile-9102991931, PAN – GGKPS6203R, Aadhaar – 7113 6770 5488),** पति का नाम श्री अजय कुमार सिन्हा,

(V) श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा **(Mobile-8895170645, PAN – BHXPS0081G, Aadhaar – 6985 3214 7883),** पति का नाम श्री विजय कुमार सिंह,

(VI) श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा **(Mobile-9334319845, PAN – AMUPS1593G, Aadhaar – 3284 9678 5900),** पति का नाम श्री धनंजय कुमार सिंह,

सभी के निवास स्थान–राम जयपाल नगर, गोला रोड, दानापुर, थाना एवं पत्रालय–दानापुर, शहर एवं जिला–पटना (बिहार), पिन–801503, राष्ट्रीयता –भारतीय, (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिन्हें आगे **"भूखण्ड स्वामीगण/प्रथम पक्ष"** इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विकासकर्त्ता/उन्नयनकर्त्ता/द्वितीय पक्ष नाम एवं पूरा पता :–

श्रीया कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड (SHREEYA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED), जो कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत है। जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U45200BR2001PTC009630, जिसका कार्यालय-श्याम सुन्दर कॉम्पलेक्स, जगदेव पथ चौराहा के नजदीक, बेली रोड, थाना–शास्त्री नगर, शहर वो जिला–पटना (बिहार), पिन संख्या–800014, **द्वारा निदेशक श्रीमती संगीता प्रकाश (MRS. SANGEETA PRAKASH),** पति का नाम श्री संजय कुमार, निवासी महल्ला–पूर्वी बुद्धा कॉलोनी, चकारम, थाना–बुद्धा कॉलोनी, शहर वो जिला–पटना (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय, पेशा–व्यवसाय, (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न, कार्यालय के अधिष्ठासी, नामित एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं), जिन्हें आगे **"विकासकर्त्ता/उन्नयनकर्त्ता /द्वितीय पक्ष"** इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

For Shreeya Consruction Pvt. Ltd.
Director

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 16270	Reg. Year 2021	Serial Number 15878	Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Identified By	Chitranjan Kumar						
Sig.	Thrafam Ic 22/10/2021						

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 2802sop028

यह दस्तावेज श्री.....
पिता श्री.....
ने निष्पादित किया ऐसा अभिप्रेत है या नही
इसकी जाँच करने के लिए उसके द्वारा भारतीय
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट
सं० 16 1908 की धारा 38 उपधारा : के अधिन
श्री.....
के नाम कमिशन जारी किया जाता है।

निबंधन पदाधिकारी, दानापुर
22.10.2021

–: : सन्दर्भ : :–

हकियत यह है कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि में से कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–1026 एवं 1027 (एक हजार छब्बीस एवं एक हजार सताईस) का अंश में 15 धूर समतुल्य 2.34375 डिसमिल भूमि को भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष सं0 I श्री विजय कुमार सिंह, भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष सं0 II श्री अजय कुमार सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष सं0 III श्री धनंजय कुमार सिंह ने अपने खास एवं निजी धनराशि के द्वारा श्री दयानन्द सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय जीवधर सिंह, निवास स्थान–कनकपुरी, कनक मन्दिर आरा, थाना एवं पत्रालय–नवादा, जिला–भोजपुर (आरा) (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय से अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा दिनांक 24–04–2008 ई0 को खरीदे हैं, जिसे दस्तावेज संख्या–2965, पुस्तक संख्या–1, जिल्द सं0–47, पृष्ठ सं0–456 से 464 तक, सी0डी0–8, सिरियल संख्या–3406 एवं टोकन संख्या–3499/2008 ई0 में संधारित किया गया वो खरीदारी के दिन से भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष सं0 I श्री विजय कुमार सिंह, भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष सं0 II श्री अजय कुमार सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामी/प्रथम पक्ष सं0 III श्री धनंजय कुमार सिंह उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामीगण की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–15168, भाग वर्तमान–60 पृष्ठ सं0–17064 एवं कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900031846 पर लगान अदा करते हुये चले आ रहे हैं।

यह कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि में से कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या –1026 एवं 1027 (एक हजार छब्बीस एवं एक हजार सताईस) का अंश में 1 कट्ठा समतुल्य 3.125 डिसमिल भूमि को भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 VI श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा ने अपने खास एवं निजी धनराशि के द्वारा श्री नन्हक राय, पिता का नाम स्वर्गीय भगेरन राय, निवास स्थान–सुलतानपुर, थाना एवं पत्रालय–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय से अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा दिनांक 20–09–1993 ई0 को खरीदे हैं, जिसे दस्तावेज संख्या–5601, पुस्तक संख्या–1, जिल्द सं0–424, पृष्ठ सं0–99 से 108 तक में संधारित किया गया वो खरीदारी के दिन से भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 VI श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणीगण की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–4774, भाग वर्तमान–92, पृष्ठ सं0–12132 एवं कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900035177 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

निबंधन कार्यालय, दानापुर • पटना •

Vijay Kumar Singh 22/10/2021

Dhananjay K. Singh 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

Ajay Kumar Sinha 22/10/2021

Ajay Singh 22/10/2021

Shreeya Construction Pvt Ltd
Director

30/10/2021





Vijay Kumar Singh 30.10.2021

CT & No - 01
Vol - 02/2021





Arjay Singh. 30.10.2021

CT & No - 02
Vol - 02/2021



CT & No - 03,
Vol - 02/2021

S/o Late Rakhal Kumar
S/o Late Lalbahadur Singh
Vill - Jarsimla, Patna
30/10/2021

Litray Kumar
30/10/2021



यह कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि में से कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या –1026 एवं 1027 (एक हजार छब्बीस एवं एक हजार सताईस) का अंश में 15 धुर समतुल्य 2.34375 डिसमिल भूमि को भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 VI श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा ने अपने खास एवं निजी धनराशि के द्वारा श्री दयानन्द सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय जीवधर सिंह, निवास स्थान–कनकपुरी, कनक मन्दिर आरा, थाना एवं पत्रालय–नवादा, जिला–भोजपुर (आरा) (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय से अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा दिनांक 22–02–2007 ई0 को खरीदे हैं, जिसे दस्तावेज संख्या–1103, पुस्तक संख्या–1, जिल्द सं0–221, पृष्ठ सं0–93 से 99 तक, सी0डी0–7, सिरियल संख्या–1221 एवं टोकन संख्या–1238/2007 ई0 में संधारित किया गया वो खरीदारी के दिन से भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 VI श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणीगण की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–15167, भाग वर्तमान–60, पृष्ठ सं0–16557 एवं कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900031830 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

यह कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि में से कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या –1026 एवं 1027 (एक हजार छब्बीस एवं एक हजार सताईस) का अंश में 15 धुर 15 धुरकी समतुल्य 2.46093 डिसमिल भूमि को भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 VI श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा ने अपने खास एवं निजी धनराशि के द्वारा श्री राजेश कुमार जिज्ञासु एवं श्री रजनीश कुमार जिज्ञासु, दोनों के पिता का नाम श्री दयानन्द सिंह, दोनों के निवास स्थान–कनकपुरी, कनक मन्दिर आरा, थाना एवं पत्रालय–नवादा, जिला–भोजपुर (आरा) (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय से अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा दिनांक 24–04–2008 ई0 को खरीदे हैं, जिसे दस्तावेज संख्या–2966, पुस्तक संख्या–1, जिल्द सं0–47, पृष्ठ सं0–465 से 473 तक, सी0डी0–8, सिरियल संख्या–3407 एवं टोकन संख्या–3498/2008 ई0 में संधारित किया गया वो खरीदारी के दिन से भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा एवं भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 VI श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणीगण की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–15169, भाग वर्तमान–60, पृष्ठ सं0–17294 एवं कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900031830 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

यह कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि में से कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–1027 (एक हजार सताईस) का अंश में 1 कट्ठा समतुल्य 3.125 डिसमिल भूमि को भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, ने अपने खास एवं निजी धनराशि के द्वारा श्री नन्हक राय, पिता का नाम स्वर्गीय भगेरन राय, निवास स्थान–सुलतानपुर, थाना एवं पत्रालय–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय से अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा दिनांक 31–03–1992 ई0 को खरीदे हैं, जिसे दस्तावेज संख्या–2315, पुस्तक संख्या–1, जिल्द सं0–120, पृष्ठ सं0–253 से 264 तक में संधारित किया गया वो खरीदारी के दिन से भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 IV श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा उर्फ रेणु सिन्हा, उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणी की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–4777, भाग वर्तमान–92, पृष्ठ सं0–12403 एवं कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900035187 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

यह कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि में से कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–1027 (एक हजार सताईस) का अंश में 1 कट्ठा समतुल्य 3.125 डिसमिल भूमि को भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा, ने अपने खास एवं निजी धनराशि के द्वारा श्री नन्हक राय, पिता का नाम स्वर्गीय भगेरन राय, निवास स्थान–सुलतानपुर, थाना एवं पत्रालय–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय से अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा दिनांक 31–03–1992 ई0 को खरीदे हैं, जिसे दस्तावेज संख्या–2314, पुस्तक संख्या–1, जिल्द सं0–120, पृष्ठ सं0–241 से 252 तक में संधारित किया गया वो खरीदारी के दिन से भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती अंजु सिंह उर्फ अंजु सिन्हा उर्फ अंजु कुमारी सिन्हा, उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणी की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–4776, भाग वर्तमान–92, पृष्ठ सं0–12298 एवं कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900035184 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

Vijay Kumar Singh 22/10/2021

Dhananjay Kr. Sinha 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

Anju Singh 22/10/2021

Shreeya Consult. Salvaute Thakur. 22/10/2021 Director

यह कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि में से कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–1027 (एक हजार सताईस) का अंश में 1 कट्ठा समतुल्य 3.125 डिसमिल भूमि को भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 VI श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा, ने अपने खास एवं निजी धनराशि के द्वारा श्री नन्हक राय, पिता का नाम स्वर्गीय भगेरन राँय, निवास स्थान–सुलतानपुर, थाना एवं पत्रालय–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), राष्ट्रीयता–भारतीय से अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर (बिहार) के द्वारा दिनांक 31–03–1992 ई0 को खरीदे हैं, जिसे दस्तावेज संख्या–2316, पुस्तक संख्या–1, जिल्द सं0–120, पृष्ठ सं0–265 से 276 तक में संधारित किया गया वो खरीदारी के दिन से भूखण्ड स्वामिणी/प्रथम पक्ष सं0 V श्रीमती नीलम लता सिन्हा उर्फ नीलम सिन्हा, उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर शान्ति पूर्वक निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामिणी की हैसियत से काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये, सम्पत्ति संबंधी व्यवस्था करके वो करवाकर इससे उत्पत्ति आय का उपयोग वो उपभोग स्वतंत्र रूपेण करते हुये, दाखिल–खारीज वाद के द्वारा रजिस्टर–2 में अपना नाम दर्ज कराकर अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर के माध्यम से जमाबन्दी सं0–4775, भाग वर्तमान–92, पृष्ठ सं0–12226 एवं कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी सं0–212139900035181 पर लगान अदा करती हुई चली आ रही हैं।

इस प्रकार अनुसूची–I में वर्णित भूमि का सर्वाधिकारी वो दखलकार वो हस्तांतरण कर्त्ता का मात्र प्रमाण भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को प्रमाणित होता है वो भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल–कब्जा प्राप्त है तथा सम्पत्ति के भू–स्वामीगण बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांति पूर्वक रहते हुए चले आ रहे हैं।

इस तरह भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष लेख्य सम्पत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का विकास एकरारनामा/एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं।

यह कि श्रीया कन्सट्रक्सन प्राईवेट लिमिटेड एक रीयल इस्टेट कम्पनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि का विकास कर बहुमंजिला इमारत बनाना, डुप्लेक्स/ट्रिपलेक्स/ग्रुप हॉउसिंग/टाउनशिप का निर्माण करना, कॉलोनी बसाना, व्यावसायिक/आवासीय बहुमंजिला इमारत बनाना, मॉल बनाना वो अनेक प्रकार से भूमि का विकास कर उसे अपने क्रेता को बेचना है।

यह कि भूखंण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के बीच इस संबंध में इस दस्तावेज के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है किं वे उक्त भूमि पर बहुमंजिला व्यावसायिक/आवासीय इमारत का निर्माण हेतु ग्रहण करेंगे एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला इमारत की निर्माण करेगें।

निबंधन कार्यालय दानापुर पटना

Vijay Kumar Singh 22/10/2021

Nilam Lata Sinha

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Ajay Singh 22/10/2021

Ajay Kumar Singh

For Shreeya Construction Pvt. Ltd.

Sanjeet Prakash Director

22/10/2021

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर भूकम्प अवरोधी बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जायेगा :–

1. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूमि को, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष की नियुक्ति, वर्णित भूखण्ड क्षेत्र पर नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप एवं बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006/समय–समय पर संशोधित अधिनियम/सम्बन्धित नए/अन्य अधिनियम के प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य वर्णित निर्धारित अवधि के अन्दर, नियम एवं शर्त्तों के अनुसार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे। इस संदर्भ में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी कि सम्बन्धित विभाग को देने हेतु आवश्यक सभी भूमि सम्बन्धित दस्तावेज इस एकरारनामा के निष्पादन के तुरन्त बाद विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कर दें एवं भूमि के सभी आवश्यक कागजात के पूर्ण होने के पश्चात् नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा।

2. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के स्वामित्व संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कर देंगें और यदि भविष्य में उसकी मूल प्रति की जरूरत पड़ी तो उसे भी विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेंगें, जिसे विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष कार्य के समाप्ति के पश्चात् वापस कर देगें।

3. **यह कि** विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष उक्त भूमि का विकास कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर. सुनिश्चित करेंगे और तद्नुसार विकास योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृत प्राधिकार अर्थात् नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

4. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष सहमत है कि अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार प्रस्तावित निर्माण की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और बहुमंजिला इमारत की स्वीकृत प्राप्त करेंगे, उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे।

Vijay Kumar Singh 22/10/2021

Nilam Lata Sinha

Dhananjay K. Singh 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22.10.2021

Ajay Singh 22/10/2021

Ajay Kumar Singh 22.10.2021

For Shreeya Construction Pvt Ltd
Sangita Pathak
22/10/2021 Director

निबंधन कार्यालय दानापुर पटना

5. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को अधिकार देते हैं कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर के द्वारा नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) /सक्षम प्राधिकारी के यहाँ नक्शा स्वीकृति हेतु सभी तरह के आवेदनों/ नक्शा पर अपना हस्ताक्षर कर देगें तथा नक्शा स्वीकृत कराकर, अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करेंगे, भविष्य में प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत बनने के बाद अगर नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) /सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिला इमारत से ऊपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की स्वीकृति के लिए भी संशोधित योजना हेतु विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर के द्वारा नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी के यहाँ नक्शा स्वीकृति हेतु दे सकते हैं तथा नक्शा स्वीकृत कराकर, अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर पूर्व में बने बहुमंजिला इमारत से ऊपर या अन्य स्थान पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे।

6. **यह कि,** दोनों पक्षों द्वारा यह तय किया गया है कि नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के अनुपात में स्वीकृत F.A.R. के अनुसार कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में निर्माणोपरान्त विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा आवंटन किया जाएगा वो कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का होगा। जिसकी सहमति स्वीकृत के साथ भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष वो विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा दी जाती है।

7. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं कि अनुसूची–I में वर्णित भूमि पर भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के अलावे किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है, अगर कोई दावा करता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वो जबावदेही भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की है वो रहेगी एवं इसका निपटारा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष स्वयं प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में अपने मिलने वाले उपरोक्त हिस्से के द्वारा ही करेंगे, किसी भी परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

8. **यह कि** अनुसूची–I में वर्णित भूमि का नक्शा स्वीकृत होने के पश्चात् दोनों पक्ष प्रस्तावित नक्शा के आधार पर एक अनिबंधित हिस्सा का वितरण (Share Distribution) का निष्पादन करेंगे जो इस विकासकार्य एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा, और उसी के अनुरूप दोनों पक्ष उक्त दुकान/ ऑफिस/युनिट, फ्लैटों/पार्किंग वो अन्य स्थान पर कब्जाधारी बनेंगे तथा स्वामित्व होगा।

Vijay Kumar Singh 22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

Dhananjay Kr Sinha 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Ajit Singh 22/10/2021

Ajit Kumar Singh 22/10/2021

Shreeya Construction Pvt Ltd. Director 22/10/2021

9. **यह कि** नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए भूखण्ड स्वामीगण भी हकदार होंगे और उसी अनुपात में क्रेताओं/स्वामियों का प्रति फ्लैट अनुपातिक भूमि में हिस्सा बदल जायेगा।

10. **यह कि** विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष, भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना का नक्शा नियमानुसार नगर परिषद दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिहार द्वारा निबन्धन कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत बनाने हेतु स्वीकृति मिलने की तिथि से निर्माण कार्य तीन वर्ष छः महीना इसके अतिरिक्त छः महीना का समय विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को ग्रेस अवधि के रूप में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया है, जिसके भीतर उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर, भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित क्षेत्रों के निर्माण, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष का पूरा हिस्सा दखल कब्जा दे देंगे, बशर्ते कि प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना, लॉकडाउन, महामारी, निर्माण सामाग्री के उपलब्ध नहीं होने, स्वामित्व सम्बन्धित विवाद आदि के कारणों से निर्माण कार्य में बाधा न पहुच्चायें तथा उन समयों को निर्माण के लिये निर्धारित अवधि में गणना नहीं की जाएगी एवं समय स्वतः बढ़ जाएगा। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त अवधि में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के हिस्से का निर्माणोपरान्त दखल–कब्जा नहीं दिया जाता है, उस परिस्थिति में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 30,000/- (तीस हजार) रूपये मात्र प्रति माह के अनुसार विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष से प्राप्त करेगें।

11. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते हैं, कि यदि किसी प्रकार का दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखंड या भूखंड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेंगे और इस कारण से निर्माण में हुई विलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ा जायेगा।

12. **यह कि** किसी कारणवश जिसके लिए भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष दोषी हो निर्माण कार्य बन्द हो जाये या निर्माण कार्य में बाधा हो अथवा सरकारी नितियों के कारण, मुकदमों के कारण या न्यायालय आदेश के तहत निर्माण कार्य ठप्प हो जाये ऐसी परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का कोई दोष नहीं माना जाएगा। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा सभी कानूनी प्रक्रियाओं को गुजरने में जो समय लगेगा उन सभी समयों की गणना निर्धारित समय में नहीं की जाएगी।

13. **यह कि** बहुमंजिला इमारत बनने के सभी तरह के खर्च का वहन इस एकरारनामा के निष्पादन की तिथि से विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा, जबकि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इस बात के लिये जबावदेह नहीं होंगे कि इस एकरारनामा के निष्पादन के पहले का बकाया राशि अथवा किसी तरह की जबावदेही नहीं उठायेंगे तथा उसकी जबावदेही भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की होगी तथा अनुसूची–I में वर्णित भूमि से सम्बन्धित किसी तरह के विवाद/रोक के लिए भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से जबावदेह होंगे।

निबंधन कार्यालय जमीन पटना

Vijay Kumar Singh. 22/10/2021

Nilam Lata Sinha

Ranu Kumari Sinha 22/10/2021

Ajay Singh. 22/10/2021

Ajay Kumar Singh 22/10/2021

Shreeya Construction Pvt Ltd Director

14. **यह कि**, इस एकरारनामा के तहत विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को सिर्फ उनके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से कोई सरोकार या दावा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष नहीं करेंगे।
इसी तरह भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को सिर्फ उनके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र एवं निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र में कोई सरोकार या दावा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष नहीं करेंगे तथा दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से को बिना दूसरे के इजाजत के बेचने, उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

15. **यह कि** निर्माण कार्य के मार्ग में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा, पूँजी का समावेश (लोन) विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के अनुसार लेंगे। विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष, भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के विकसित क्षेत्रों पर किसी तरह का बैंक खर्च (लोन), इत्यादि नहीं लेंगे। पूंजी मुहैया हेतु भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष या विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेंने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने–अपने हिस्से के अनुसार करेंगे इसके लिए भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष या विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र एक–दूसरे से लेने की आवश्यकता न है ना होगी।

16. **यह कि** जब कभी विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को आवश्यकता होगी, कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की आवश्यकता किसी भी तरह के वसिकाओं के निष्पादन में पड़ेगी, तब भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष किसी भी क्रेता/तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिये स्वामित्व स्थानांतरण हेतु या अन्य कागजातों पर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एवं भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष हस्ताक्षर/निष्पादन करेंगे तथा निर्धारित किये गये शेयर्स के मुताबिक आचरण करेंगे।

17. **यह कि** इस दस्तावेज के निष्पादन के पश्चात् भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एवं इनके कर्मचारियों, अभिकर्त्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों इत्यादि को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश कर कार्य करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे विभिन्न विकासकार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें।

18. **यह कि** दोनों पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि उपरी छत, सेट बैक, सीढी इत्यादि पर सभी फ्लैट में रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा एवं व्यक्तिगण रूप से इस पर किसी का कोई दावा नहीं होगा।

19. **यह कि** दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई है कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एवं भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष अपने–अपने हिस्से के निर्विवाद रूप से पूर्ण स्वामीगण होगें एवं अपने–अपने हिस्से के निश्वत् नगरपालिका कर, वस्तु एवं सेवा कर या किसी भी अन्य प्रकार का का कर/टैक्स से सम्बन्धित भुगतान स्वयं उचित माध्यम से करेगें या निर्मित क्षेत्र के अनुपात में दोनों के उपरोक्त हिस्से के अनुसार प्रभाव होगा।

Vijay Kumar Singh
22/10/2021

Nilam Lata Sinha
22/10/2021

Dhananjay Kr Singh
22/10/2021

Renu Kumari Sinha
22/10/2021

Arjit Singh
Abhay Kumar
22/10/2021

Gurudeo Prasad
22/10/2021

नगर निवेशन कार्यालय

20. **यह कि** अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड/बहुमंजिला इमारत के सटे अगल–बगल/आगे–पीछे के भूखण्ड पर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत हेतु विकासकार्य एकरारनामा किसी से करते हैं या भूखण्ड खरीदते हैं तब अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड को अन्य भूखण्ड के साथ मिलाकर बहुमंजिला इमारत एक या एक से अधिक ब्लॉक के रूप में निर्माण करेंगे या अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड पर निर्मित बहुमंजिला इमारत के लिये उपयोग किया जाने वाला रास्ता को ही दूसरी बनायी जाने वाली बहुमंजिला इमारत के लिए एपरोच रोड/पहुँच–मार्ग/उपागमन सड़क के रूप में करेंगे। जिसकी सहमति वो स्वीकृति इस दस्तावेज के द्वारा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को हमेशा के लिये अधिकार देते हैं, अब विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत बनाने हेतु अनुसूची –I में वर्णित भूखण्ड/प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के सटे/अगल–बगल/आगे–पीछे के भूखण्ड को मिलाकर एक या एक से अधिक ब्लॉक के रूप में निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष सभी प्रकार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर स्वीकृति हेतु देंगे एवं बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु सभी तरह का कार्य करेंगे।

21. **यह कि** विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तावित निर्माण के लिए रकम जुटाने वो क्रेता को आकर्षित करने हेतु अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड में साइनबोर्ड/होर्डिंग इत्यादि लगायेंगे, न्यूज पेपर, इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देंगे।

22. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष सहमत और वचनबद्ध हैं, कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा समय–समय पर संशोधित अधिनियम / बहुमंजिला इमारत से सम्बन्धित अधिनियम, अन्य अधिनियम, अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से के पूर्ण, निरपेक्ष एवं निर्विवाद स्वामीगण होंगे तथा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से को पृथक/अलग से बेचने/अन्तरण करने एवं किराया पर लगाने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे, जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासकर्त्ता अपने हिस्से का क्षेत्र को पूर्ण, निरपेक्ष एवं निर्विवाद स्वामीगण के रूप में बंधक रखकर ऋण ले लेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा इत्यादि करेंगे।

23. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने–अंपने हिस्से के अनुसार काबिज–दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर इस दस्तावेज के माध्यम से अपना–अपना नाम वर्तमान जमाबन्दी धारक के नाम के स्थान पर दाखिल खारीज के द्वारा रजिस्टर–2 में दर्ज कराकर लगान/कर निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामीगण की हैसियत से देय करते रहेगें वो इसके अलावे भी जहाँ–जहाँ वो जिस–जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझेंगें अपना नाम दर्ज करा लेगें, इसमें दोनों पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

सब निबंधन कार्यालय पटना

Vijay Kumar Singh. 22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

Dhananjay K. Sinha 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Ajay Singh. 22/10/2021

Ajay Kumar Singh 22/10/2021

For Shreeya Constructions Pvt. Ltd.
Director
Sangeeta Prakash.
22/10/2021

24. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं :–

(i) कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को उक्त भूमि से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका विकास करने या कसने के लिए अधिकार प्राप्त है।

(ii) कि उक्त भूमि से संबंधित इस भूमि या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(iii) कि उक्त भूमि से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर विकासकर्त्ता को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो इसका पूरा निवारण भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष अपने खर्च से करेगें।

(iv) कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष किसी बेनामी भूखण्ड स्वामीगण के बेनामीदार नहीं है।

(v) कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष ने घोषणा की है, कि उक्त भूमि पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष ऐसे दावे को अपने खर्चे पर समाप्त करेंगे।

(vi) कि उक्त भूमि के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो भूखण्ड स्वामीगण उसका भुगतान करेंगे।

(vii) कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष उक्त भूमि के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में विकासकर्त्ता सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और भूखण्ड स्वामीगण वचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्यवाई नहीं करेंगे।

(viii) कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचनें, पट्टा/किराया पर देने, ऋण लेने का अधिकार होगा।

(ix) कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित विभाग/अधिकारियों को आवेदन करेंगे तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए एवं अन्य कार्यो के लिये भी आवेदन करेंगे।

(x) कि किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालंय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना।

(xi) कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा बहुमंजिला इमारत के निर्माण में यह अधिकार होगा कि वह अपने कार्य को सम्बन्धित व्यक्ति/एजेन्सी के द्वारा कर सकते हैं।

Vijay Kumar Singh 22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

Dhananjay Jha 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Avijit Sinha 22/10/2021

Ajay Kumar Singh 22/10/2021

For Shreeya Construction Pvt. Ltd. Director 22/10/2021

निबंधन कार्यालय, जिला पटना

(xii) कि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के निश्वत न्यायपूर्ण, विधि संगत, निर्माण कार्य करने हेतु सभी प्रकार के अधिकार देते हैं।

25. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों के अनुरुप उक्त भूमि के विकास से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए भूखण्ड स्वामीगण की ओर से विकासकर्त्ता को प्राधिकृत करते हैं।

26. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष वचनबद्ध हैं कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को कार्य करने में कोई बाधा या विरोध हो और विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काम करने में किसी प्रकार की परेशानी हो। उक्त भूमि के विकास के लिए उसकी योजना बनाने के लिये तथा उक्त इमारत के निर्माण विकासकर्त्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे एवं किसी भी परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगें।

27. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष ने आपसी सहमति से निर्णय लिया है कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नाम **"शकुन्तला बिजनेश आर्केड (Shakuntala Business Arcade)"** होगा, भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के आपसी सहमति से इसके नाम को बदला भी जा सकता है।

28. **यह कि** इस उन्नयन मनोबंध तथा इससे संबंधित सभी अन्य खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च, जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प और निबंधन खर्च शामिल है, विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष या उनके नामितों द्वारा वहन किया जायेगा।

29. **यह कि** निर्माण अवधि में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतू व्यवहार में लाये गये सामानों की जॉच किसी भी कार्य दिवस में उचित अवधि के अन्दर कर सकते है इसमें विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा।

30. **यह कि** एकरारनामा दोनों पक्षों के उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि पर लागू रहेगा।

31. **यह कि** किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति The Arbitration and Conciliation Act के तहत किया जाएगा एवं विवाद या मतभेद समाप्त किया जाएगा।

32. **यह कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2006** / समय–समय पर संशोधित अधिनियम / बहुमंजिला इमारत से सम्बन्धित नए / अन्य अधिनियम की सभी नियम और शर्तें लागू होगी।

33. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष इस दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से लेकर बहुमंजिला इमारत के निर्माण पूर्ण होने तक किसी प्रकार का विघ्न, प्रतिबंध, अवरोध एवं बाधा उत्पन्न नहीं करेगें क्योंकि भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष इस दस्तावेज के निष्पादन के पूर्व ही फर्म के कार्य करने के तरीके से अवगत होकर ही इस दस्तावेज का निष्पादन करने हेतु सहमत हुये हैं।

Vijay Kumar Singh. 22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

Dhananjay Kr. Singh 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Ajay Singh. 22/10/2021

Ajay Kumar Singh 22/10/2021

For Shreeya Construction Pvt. Ltd.
Sangeeta Rakesh
Director
22/10/2021

34. **यह कि** भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष ने विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को पूर्ण विश्वास वो भरोसा दिलाये है कि अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड, हर तरह के नुक्स हकियत वो सभी तरह के ऋण भारों, बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण वो अन्य तरह के स्वामित्व सम्बन्धित वाद–विवाद से बिल्कुल मुक्त एवं पाक–साफ है वो सम्पत्ति नगर परिषद् दानापुर निजामत/पटना महानगरीय क्षेत्र/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/सक्षम प्राधिकारी, भूमि हदबन्दी कार्यालय, भू–अर्जन कार्यालय, सम्पत्ति अधिग्रहण अटैचमेन्ट सम्बन्धित अध्यादेश/सूचना एवं किसी तरह का निषेधाज्ञा, किसी तरह के सरकारी–गैरसरकारी संस्थाओं, सरकारी–गैरसरकारी वित्तीय संस्थाओं या न्यायालय के द्वारा उक्त सम्पत्ति के अंश या पूर्ण भाग के निश्वत् किसी तरह की अधिसूचना प्रेषित नहीं की गयी है तथा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं लिखे हैं वो न किए हैं और न ही भविष्य में करेंगे, अगर विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष और इनके उत्तराधिकारी उक्त या अन्य वजह से अनुसूची–I में वर्णित भूखण्ड के अंश भाग या कुल भू–भाग से बेदखल हो जायें या कर दिये जायें या किसी तरह का नुकसान सहना पड़े तो वैसी सूरत में भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष और इनके उत्तराधिकारीगण इसका पूर्ण निवारण अपने खर्च एवं संसाधन के द्वारा करेंगें।

अनुसूची–I

विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा बनाये जाने वाले प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष के व्यावसायिक परती भूमि का विवरणः–

क्षेत्रफल 6 कट्ठा 5 धुर 15 धुरकी (छह कट्ठा पाँच धुर पन्द्रह धुरकी) समतुल्य 19.6484375 डिसमिल व्यावसायिक परती रैयती भूमि बाउण्ड्री के साथ, **अवस्थित महल्ला–दानापुर बैंक कॉलोनी गोला रोड, थाना–दानापुर, जिला–पटना (बिहार), अवर निबंधन कार्यालय–दानापुर, जिला निबंधन कार्यालय–पटना (बिहार)। जिसका सर्वे मौजा–दानापुर शहजादपुर, थाना संख्या–21 (इक्कीस), कैडेस्ट्रल सर्वे खेसरा संख्या–1026 एवं 1027 (एक हजार छब्बीस एवं एक हजार सताईस) का अंश, खाता संख्या–814 एवं 816 (आठ सौ चौदह एवं आठ सौ सोलह), तौजी–बिहार सरकार,** सम्पत्ति का वार्षिक निर्धारित लगान लगभग ₹50/- अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी कार्यालय, दानापुर (बिहार), हल्का–नगर परिषद् दानापुर को दिया जा रहा है एवं सम्पत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद् दानापुर के अन्दर है, जिसका चौहद्दी निम्नलिखित हैः–

–: : चौहद्दी : :–

उत्तर :– सहायक रास्ता.
दक्षिण :– सहायक रास्ता.
पूरब :– अशोक चौधरी वगैरह.
पश्चिम :– मेन गोला रोड.

नोट :– उपर्युक्त सम्पत्ति न्युनतम दर पंजी के **कोड सं0–117** पर अंकित है वो **जोन – 2 है।**

जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य ₹ 2,24,05,000/– (जिसमें भूमि का मूल्य– ₹2,21,05,000/– एवं बाउण्ड्री का मूल्य– ₹3,00,000/–) है।

Vijay Kumar Singh 22/10/2021
Dhananjay Kr. Jha 22/10/2021
Renu Kumari Sinha 22/10/2021
Nitam Lata Sinha 22/10/2021
Ajay Singh 22/10/2021
For Shreeya Construction Pvt. Ltd. Director

अनुसूची–II

बहुमंजिला इमारत के भूखण्ड स्वामीगण के हिस्से का वास्तु शास्त्रीय एवं ढ़ांचागत विवरणः–

ढ़ांचा :– सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत आर0सी0सी0 भूकम्परोधी फ्रेम ढ़ांचा।

Civil कार्य :– सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का छड़, ईट, सिमेन्ट, बालू एवं मसाला।

परिसज्जन :– भूखण्ड स्वामीगण के हिस्से के सभी भीतरी दिवारे एवं छत Wall Putty का दो तह एवं बाहर की दिवारें प्लास्टर की होगी और Weather Coat से पुती होगी.

दरवाजे :– दरवाजे का चौखट साल लकड़ी का तथा दरवाजे का पल्ला प्लाई बोर्ड का होगा.

खिड़कियाँ :– खिड़कियाँ UPVC का स्लाईडिंग खिड़की ग्रील के साथ होगा।

फर्श :– सिरामिक फ्लोर टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी.

शौचालय :– सभी शौचालय में ठंडा एवं गर्म पानी का नल गीजर प्वाईन्ट के साथ, रंगीन Glazed टाइल्स ceiling height तक, सभी शौचालय का सभी सामान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। बाथ रूम का फ्लोर सिरामिक टाइल्स/ मार्बल का होगा.

रसोई घर :– Granite का कार्यकारी Platform तथा स्टेनलेस स्टील का सिंक, कार्यकारी Platform से 24 ईन्च उंची रंगीन टाइल्स, किचेन का फ्लोर सिरामिक टाइल्स/मार्बल का होगा.

लिफ्ट :– ISI Mark या समकक्ष का लिफ्ट होगा. KONE, OTIS, Johnson.

फायर सिस्टम :– बहुमंजिली इमारत फायर सिस्टम से परिपूर्ण होगा.

बिजली व्यवस्था :– मानक बिजली सामग्री के साथ Concealed पी0भी0सी0 Conduit Wring-RR/Havells/Anchore या समकक्ष, Pipe for Electric-Malhotra/Durga या समकक्ष, Switch-Anchore या समकक्ष।

जेनरेटर :– जेनरेटर kirloskar green/ashok Leyland या समकक्ष का होगा.

बहुमंजिली इमारत उष्मा/गर्मी प्रतिरोधी एवं जल प्रतिरोधी होगा.

अन्य विवरण

चौबीस घंटे अपने ट्यूबवेल से जुडे सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था.

Vijay Kumar Singh. 22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

Dhananjay Kr Sinha 22/10/2021

Renu Kumari Sinha 22/10/2021

Arun Kr Singh. 22/10/2021

Ajay Kumar Singh 22/10/2021

for Shreeya Construction Pvt. Ltd. Sangeeta Bakshi 22/10/2021 Director

निबंधन कार्यालय पटना

इस वास्ते यह दस्तावेज उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष अपने मानसिक वो शारीरिक स्वस्थ–अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वो धमकाव के अपने तथा परिवार के हानि–लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली–भाँति समझ वो बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर एक दूसरे के बनाम वो वहक स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिए कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाह का नाम एवं पूरा पता :–

1. Arjun Sharma
S/o Sanjay Kr. Sharma
203 Shreeya Apt
Arah Garden Road
Patna-14

Vijay Kumar Singh.
22/10/2021

Ajay Kumar Sinha.
22/10/2021

Dhananjay Kr Sinha
22/10/2021

Renu Kumari Sinha
22/10/2021

Arjun Singh
22/10/2021

Nilam Lata Sinha 22/10/2021

(भूखण्ड–स्वामीगण प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर)

2. Chiranjeev
S/o Mahesh Singh
Jandaha
Patna

For Shreeya Construction Pvt Ltd
Sangeeta Prakash
22/10/2021 Director

(विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर)

भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों वो भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष एवं विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष के कथनानुसार इस निर्विवाद उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा का प्रारूप तैयार किया, उन्नयन मनोबंध/विकासकार्य एकरारनामा के प्रारूप को अच्छी तरह से भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष वो विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष को पढ़कर सुना व समझा दिया।

टंकणकर्त्ता

सुबोध कुमार (अधिवक्ता)
एम.एस.सी., एल.एल.बी.

PROPERTY
DOCUMENT CENTRE
MOBILE - 9334167775
8877444499

निबंधन कार्यालय, जिला पटना



निबंधन कार्यालय
पटना

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'.Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 448420/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act.	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 469920/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	2000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-		22000

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 22500

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Date: 22/10/2021

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Friday, 22nd October 2021 by Vijay Kumar Singh Late Ramanand Prasad Sharma by profession Others. Status - Executant

Ajay Kumar Singh
22/10/21

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:22/10/2021**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Chitranjan Kumar' age '33' Sex 'M', 'Mauleshwar Prasad Singh', resident of 'Sadhnapuri,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 22/10/2021

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

tegistered at Registration Office, Danapur in Book No. 1 Volume No. 324 on page no. 1 to 20 for the year :021 and stored in CD Volume No. 50 , year 2021. The document no. is printed on the front Page of the locument.

Token No. : 16270 Year : 2021 S.No. 8 of 2021 SCORE Ver.4.1 Deed No. :d No.

ate : 01/11/2021

Registering Officer
Danapur

सत्यमेव जयते
भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

RAB3264108



निर्वाचक का नाम	चितरंजन कुमार
Elector's Name	Chitranjan Kumar
पिता का नाम	मौलेशवर प्रसाद सिंह
Father's Name	Mauleshwar Prasad Singh
लिंग /Sex	पुरूष/Male
जन्म तिथि Date of Birth	XX/XX/1987

RAB3264108

पता : सधानापुरी ब्लाक
ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी, एच
शहर/गाँव - पटना,
अंचल - पटना सदर,
जिला - पटना, 800002

Address : Sadhanapuri Block
A,B,C,D,E,F,J,H
Town/Vill - Patna,
Anchal - Patna Sadar,
Distt. - PATNA,
800002

दिनांक / Date : 07/04/2014

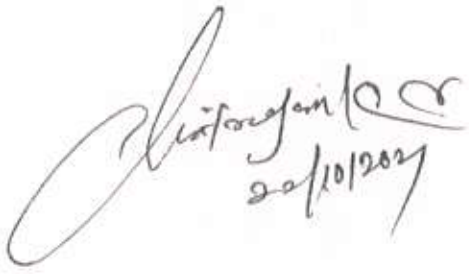
181, दीघा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of Electoral Registration Officer 181, Digha Constituency

इस कार्ड के नए पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने तथा उस पते पर इसी नंबर का कार्ड पाने के लिए संशोधन फार्म में यह कार्ड नंबर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this card no. in the relevant form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.

333/1776

Identifier



INDIA NON JUDICIAL

Government of Bihar

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR25003802262013T
Certificate Issued Date	:	20-Oct-2021 03:45 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ brshcil01/ DANAPUR SRO/ BR-PAT/ DNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-BRBRSHCIL01339452225353657
Purchased by	:	SHREEYA CONSTRUCTION PVT LTD
Description of Document	:	Not Applicable
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Not Applicable
Second Party	:	SHREEYA CONSTRUCTION PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	SHREEYA CONSTRUCTION PVT LTD
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	4,47,420(Four Lakh Forty Seven Thousand Four Hundred And Twenty only)
Reg. fee (Rs.)	:	22,000 (Twenty Two Thousand only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	:	500 (Five Hundred only)
Total Amount (Rs.)	:	4,69,920 (Four Lakh Sixty Nine Thousand Nine Hundred And Twenty only)

Stock Holding Corporation of India Ltd. PATNA

Do not write or type below this line

निबंधन कार्यालय जिला पटना

0002965900